Pradhan Mantri
Awaas Yojana-Shahri
प्रधान मंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना– शहरी

अन्तर्गत प्रताप विहार योजना में सबके लिए आवास के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग भवनों (जी+3) हेतु योजना की सर्वेक्षण पुस्तिका

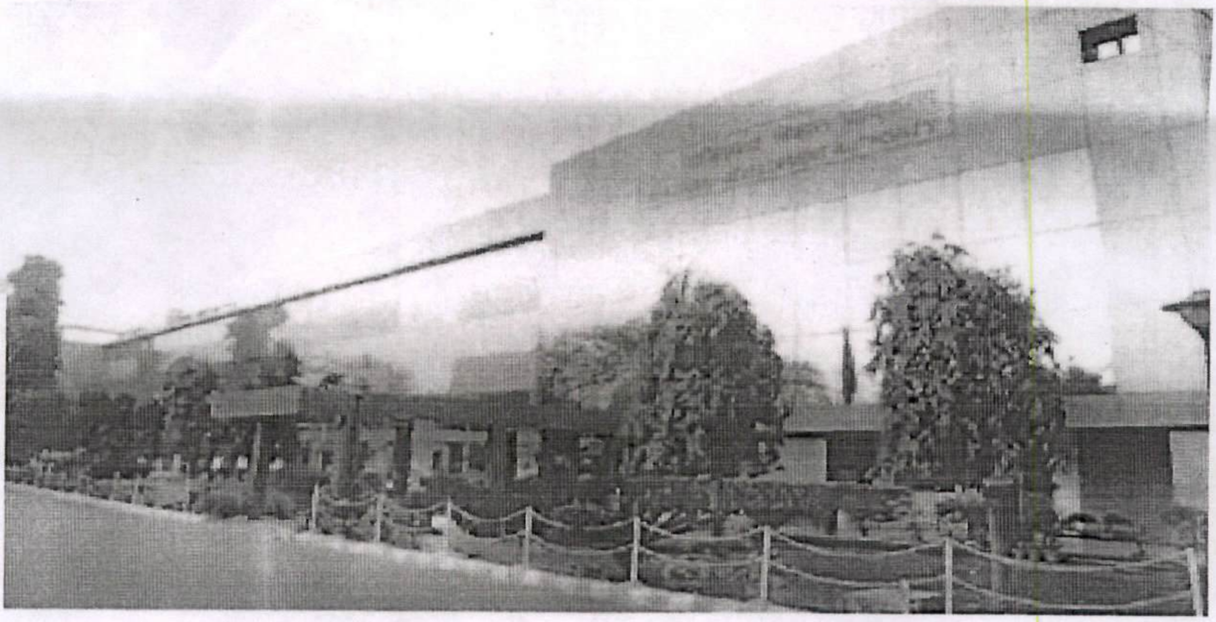

योजना की तिथि दि0 18.9.20 से 17.10.20 तक

विकास पथ, गाजियाबाद

I.S.O.9001-2015 एवं **I.S.O.14001-2015** प्रमाणित संस्था

मूल्य रू0 50/–

UP.RERA Reg. No. UPRERAPRJ880283

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण

गाजियाबाद

प्रधानमंत्री आवास योजना डिमान्ड सर्वे ब्रोशर

सर्वे की तिथि दि0– 18.09.20 से 17.10.20 तक

कृपया शासन के दिशा–निर्देशो के क्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रताप विहार योजना जनपद गाजियाबाद दुर्बल आय वर्ग के भवनों (जी+3) का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये दिशा–निर्देश के क्रम में गाजियाबाद के प्रताप विहार योजना के भवनों का निर्माण किये जाने हेतु डिमाण्ड सर्वे किया जाना है, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है:–

योजना का नाम	प्रताप विहार योजना, गाजियाबाद
प्रस्तावित भवनों की संख्या	720
भवनों का आंतरिक संरचना	02 आवासीय कमरे, कुकिंग स्पेस, शौचालय, स्नान घर, बालकनी
कारपेट क्षेत्रफल	22.67 वर्ग0 मी0
भवन का मूल्य (प्रति भवन)	सीलिंग कॉस्ट रू0–4.50 लाख निर्धारित है।
	भारत सरकार का अंशदान रू0–1.50 लाख होगा।
	राज्य सरकार का अंशदान रू0–1.00 लाख होगा।
	अवशेष धनराशि रू0–2.00 लाख लाभार्थी से प्राप्त की जायेगी।
	भवन का मूल्य घट बढ़ सकता है।

लाभार्थी की पात्रता:–

- लाभार्थी परिवार में पति, पत्नी एवं अविवाहित बेटे और/अथवा अविवाहित बेटियाँ शामिल होगे।
- लाभार्थी भारत का नागरिक होना चाहिये एवं उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- लाभार्थी परिवार की वार्षिक आय रू0–3.00 लाख से कम होनी चाहिए।
- एक व्यस्क कमाऊ (वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिये बिना) को एक अलग परिवार समझा जा सकता है, बशर्ते उसके पास भारत के किसी भी भाग में उसके नाम पर कोई पक्की (सभी मौसम वाली) रिहायशी इकाईयॉ नही होनी चाहिए। बशर्ते यह भी विवाहित दम्पत्ति के मामले मे पति/पत्नी मे से कोई एक अथवा दोनो सयुंक्त स्वामित्व में एक आवास के लिए पात्र होगें, शर्त यह है कि स्कीम के तहत परिवार की आय पात्रता के अन्तर्गत आती हो।
- लाभार्थी गाजियाबाद विकास क्षेत्र का निवासी होना चाहिए।

डिमाण्ड सर्वे हेतु नियम एवं शर्तेः–

- मांग सर्वेक्षण को भवन आवंटन हेतु पंजीकरण नही माना जायेगा।
- मांग सर्वेक्षण के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित भवनो के विक्रय हेतु पृथक से पंजीकरण खोला जायेगा। पंजीकरण हेतु निर्धारित शर्ते एवं अर्हतॉए पूर्ण करनी होगी।
- एक व्यक्ति केवल एक बार ही आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक आवेदन पत्रो पर विचार नही किया जायेगा।
- अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के निरस्त कर दिये जायेगे।
- समय–समय पर जारी शासनादेश मान्य होगे।
- शासनादेश के अनुसार वरीयता निम्नअनुसार दी जायेगी।

(अ) वर्टिकल वरीयता

क्रम0 सं0	श्रेणी	वर्टिकल वरीयता प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21
2	अनुसूचित जनजाति	02
3	अन्य पिछडा वर्ग	27

(ब) हारिजन्टल वरीयता

क्रम0 सं0	श्रेणी	हारिजन्टल वरीयता प्रतिशत
1	दिव्यांग जन	05 प्रतिशत (वरीयता–भूतल के भवन/फलैट)
2	विधवा/एकल महिला	08 प्रतिशत
3	उभयलिंगी	0.05 प्रतिशत
4	अल्पसंख्यक	अन्य पिछडा वर्ग में पूर्व से अनुमन्य है
5	वरिष्ठ नागरिक	10 प्रतिशत (वरीयता–भूतल के भवन/फलैट)

- आवेदन पत्र का मूल्य रू0–50/– समायोजित/वापस नही होगा।
- भवनो की संख्या, क्षेत्रफल, स्थल पात्रता एवं नियम व शर्तो में यदि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन होता है, तो वह लाभार्थी को मान्य होगा।

आवेदन की प्रक्रियाः–

- डिमाण्ड सर्वे के आवेदन पत्र प्राधिकरण की वेबसाईट मे दिये गये लिंक **pmaygda.gdaghaziabad.in** पर ऑनलाईन भरे जायेगे तथा आवेदन पत्र की कीमत रू 50/– ऑनलाईन भुगतान एच0 डी0 एफ0 सी0 बैंक डी–44 आर0 डी0 सी0 राजनगर गाजियाबाद के माध्यम से किया जायेगा।

- खाता संख्या **V.C.GDA PMAY-50100299389350 HDFC BANK RAJNAGAR** शाखा मे धनराशि जमा करानी होगी।
- पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक–18.9.20 से 17.10.20 तक अपलोड किये जा सकते है।

अतः उपरोक्त के क्रम मे प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) सबके लिए आवास के अन्तर्गत दुर्बल आय वर्ग के भवनों (जी+3) हेतु मांग सर्वेक्षण पुस्तिका का प्रारूप तैयार कर दायीं ओर सलंग्न कर दिया गया है। डिमाण्ड सर्वे हेतु आवेदन पत्र दिनांक– 10.9.20 से 17.9.20 तक आमंत्रित करने की अनुमति प्रदान करना चाहे।

उपाध्यक्ष

"प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) – सबके लिए आवास" के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित दुर्बल आय वर्ग भवनों (जी+3) के माँग सर्वेक्षण (प्रताप विहार योजना, गाजियाबाद) हेतु आवेदन पत्र

आवेदक अपना नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो सलग्न करें

1. लाभार्थी का नाम
2. लिंग (पुरूष 01, महिला 02, उमयलिंगी 03)
3. आयु
4. पिता का नाम
5. वर्तमान पता और संम्पर्क ब्यौरा
   (क) मकान/फ्लैट/द्वार सं0
   (ख) गली का नाम
   (ग) शहर
   (घ) मोबाईल संख्या
   (ड़) ई–मेल एड्रेस
6. स्थायी पता
   (क) मकान/फ्लैट/द्वार सं0
   (ख) गली का नाम
   (ग) शहर
   (घ) मोबाईल संख्या
7. आधार कार्ड संख्या
8. वैवाहिक स्थिति
   (विवाहित–01, अविवाहित–02, एकल महिला/विधवा–03)
9. क्या परिवार के पास भारत में कही भी अपना मकान /रिहायशी भूमि है? (हाँ/नहीं)
   (क) यदि हाँ, तो स्थान का ब्यौरा दें (बस्ती/शहर/राज्य)
   (ख) यदि हाँ, तो वर्ग मीटर में भूमि का ब्यौरा दें
10. परिवार की औसत मासिक आय (रूपये में)

लाभार्थी के हस्ताक्षर/अगूठे का निशान

घोषण–पत्र

1. मैं "प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)– सबके लिए आवास" के अन्तर्गत गाजियाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित दुर्बल आय वर्ग भवनों (जी+3) को क्रय करने का इच्छुक हूँ।
2. मैं घोषण करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी सूचना सही है। यदि मेरे द्वारा दी गयी सूचना गलत दी जाती है तो उसका/उसकी जिम्मेदार मैं स्वयं होऊगाँ/होऊँगी

लाभार्थी का हस्ताक्षर/अगूठे का निशान

PROPOSED HOUSE DESIGN FOR P. M. AAWAS YOJNA

CARPET AREA OF UNIT PLAN = [illegible].67 SQ.M.
[illegible] OF UNIT [illegible]

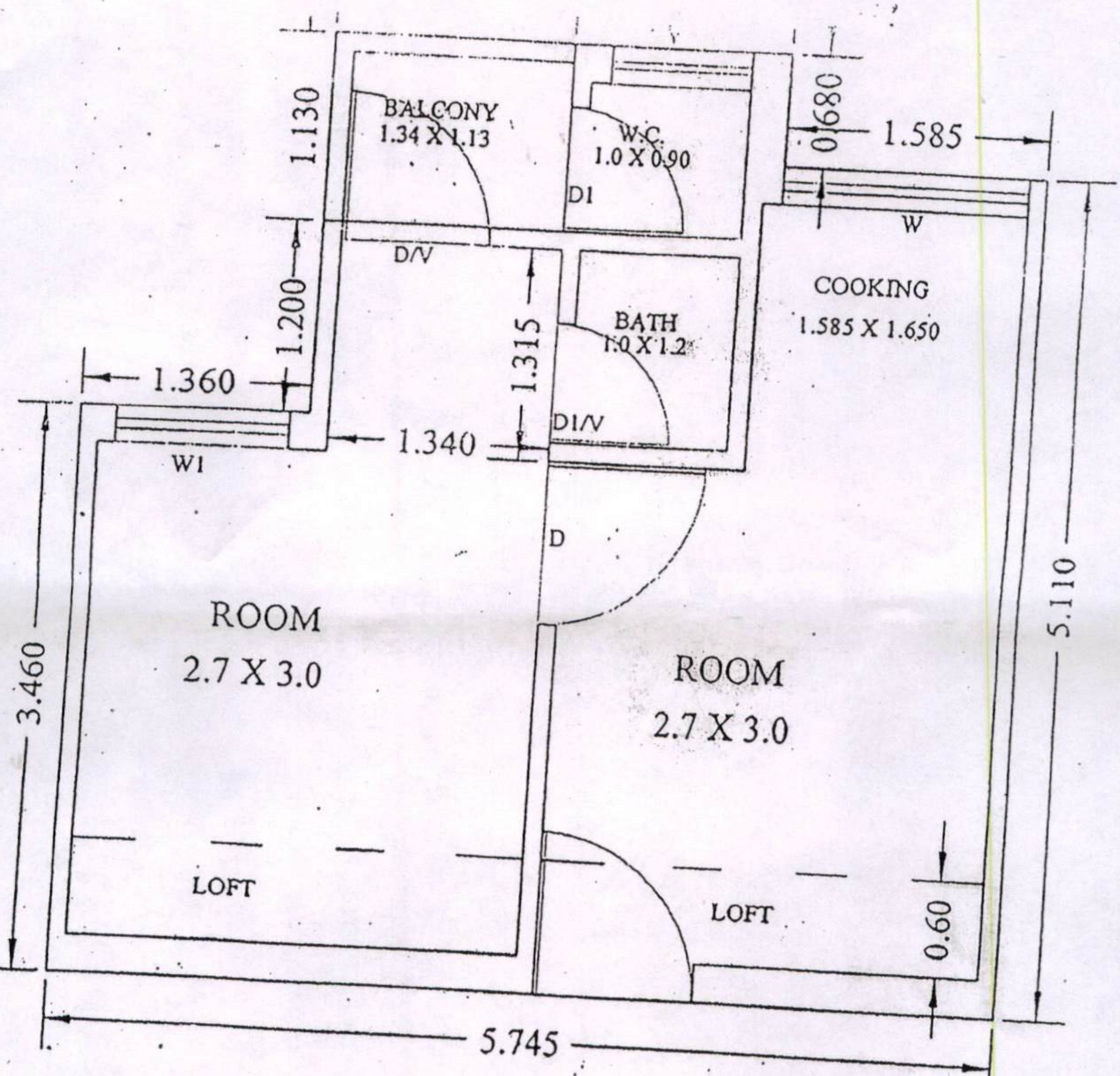

UNIT PLAN

S.N.	TYPE	WIDTH	HEIGHT	REMARKS
1.	D	900	2100	ANGLE IRON SINGLE LEAF DOOR
2.	D1	900	2100	ANGLE IRON SINGLE LEAF DOOR
3.	D/V	900	2700	ANGLE IRON SINGLE LEAF DOOR
4.	D1/V	750	2700	ANGLE IRON SINGLE LEAF DOOR
5.	W	1200	1200	Z-SECTION SINGLE 3 LEAF WITH GRILL
6.	W1	1200	1200	Z-SECTION SINGLE 2 LEAF WITH GRILL
7.	V	600	600	Z-SECTION SINGLE LEAF WITH GRILL